भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5475
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

हिंगोली में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण में चुनौतियां

5475. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिंगोली में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में खामियों और चुनौतियों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन या सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा हिंगोली में स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए फूड पार्कों, प्रसंस्करण केंद्रों और मूल्यवर्धन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या हिंगोली में फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने और शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रस्तावित शीतागार और भांडागार से जुड़ी परियोजनाएं चल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) हिंगोली में नए उद्यमियों और लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता और राजसहायता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और सरकार इन योजनाओं के बारे में जागरूकता किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है;और

(ङ) हिंगोली से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन पहलों की स्थिति क्या है और सरकार द्वारा स्थानीय व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने हिंगोली सहित देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अंतराल और चुनौतियों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है ।

(ख) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय महाराष्ट्र के हिंगोली जिले सहित पूरे देश में वर्ष 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना– प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित्त कर रहा है। पीएमकेएसवाई के तहत घटक योजनाएँ हैं (i) मेगा फूड पार्क (एमएफपी योजना- दिनांक 01.04.2021 से बंद), (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन योजना), (iii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन (एपीसी योजना), (iv) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी योजना), (v) बैकवर्ड और

फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (सीबीएफएल योजना- 01.04.2021 से बंद) और (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना)। ये योजनाएँ माँग आधारित हैं और धन की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी करके प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इन घटक योजनाओं के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे शीत शृंखला अवसंरचना सहित प्रसंस्करण और परिरक्षण दोनों प्रकार की अवसंरचना सुविधाओं का सृजन होता है। घटक योजनाओं के अंतर्गत सृजित सुविधाएं कच्चे कृषि उत्पादों के परिरक्षण और प्रसंस्करण तथा कच्चे और तैयार उत्पादों के परिवहन में मदद करती हैं, जिससे कृषि उत्पादों के फसलोत्तर नुकसान को कम किया जाता है। 28 फरवरी, 2025 तक हिंगोली में सीईएफपीपीसी योजना के अंतर्गत 19.96 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ एक परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है।

एमओएफपीआई "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। हिंगोली जिले सहित देश भर में पीएमएफएमई योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) उत्पादों सहित सभी उत्पादों के लिए संभावित उद्यमियों को सहायता प्रदान की जाती है। हिंगोली जिले के लिए इस योजना के अंतर्गत 12.05 करोड़ रुपये की स्वीकृत सब्सिडी के साथ 184 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय योजना की शुरुआत से ही समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स, प्रदर्शनियों और एक्सपोज, मिलेट मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि जैसे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जागरूकता अभियानों के माध्यम से लाभार्थियों के बीच जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है।

(ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के सृजन में सहायता करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। साथ ही, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता, बाजार विकास आदि के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये योजनाएं हिंगोली सहित पूरे देश में कार्यान्वित्त की जाती हैं ।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य उत्पादों के निवेश और सोर्सिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 19 से 22 सितंबर 2024 के दौरान भारत मंडपम , नई दिल्ली में "वर्ल्ड फूड इंडिया" नामक एक मेगा इवेंट के तीसरे संस्करण का आयोजन किया, ताकि घरेलू उद्योग को प्रदर्शित किया जा सके और इसे अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहयोग के अवसर प्रदान किए जा सकें। इस कार्यक्रम में वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, इनोवेटर्स, आपूर्ति श्रृंखला हितधारकों, उपकरण निर्माताओं आदि को एक सहयोगी मंच पर आमंत्रित किया गया और विदेशी कंपनियों को अपने भारतीय समकक्षों के साथ टाई-अप/व्यावसायिक अवसर प्रदान किए गए।

****